न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3 / 05 / 2024 दायर दिनांकः–26 / 03 / 2024

जीसीएमएस नं0ः– 2024 / 111 निर्णय दिनांकः–18 / 11 / 2025

बउनवान

1. जगमोहन पुत्र धर्मा निवासी कठूमर तहसीलदार कठूमर
2. कमलेश पत्नी जगमोहन जाति जाटव निवासीयान कठूमर जिला कठूमर जिला अलवर।

––––––––प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र धर्मा जाति जाटव निवासी कठूमर
2. महेश पुत्र धर्मा जाति जाटव निवासी कठूमर
3. विनोद पुत्र जाति जाटव निवासी कठूमर
4. श्रीचन्द पुत्र बाबूलाल जाति जाटव निवासी कठूमर
5. उर्मिल पुत्र छगनलाल जाति जाटव कठूमर
6. गीता पुत्री गोविन्द जाति जाटव निवासी कठूमर
7. राजपाल पुत्र जाति जाटव निवासी कठूमर
8. विकास पुत्र गोविन्द जाति जाटव निवासी कठूमर
9. सीमा पत्नी गिर्राज जाति खटीक निवासी कठूममर
10. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

––––––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा– 1956

उपस्थितिः–1.श्री गिरधारीलाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2.भवानी शंकर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 4से 8
3.रूपकिशोर अधिवक्ता अप्रार्थी 1,2,9,

–:निर्णयः–

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1193 रकबा 0.43 हैक्ट0 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर प्रार्थीयान व अप्रार्थी संख्या 1 ला0 3 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1193/2234 रकबा 0.44 हैक्ट0 अंप्रार्थी संख्या 4 ला0 8 गैर मु0आवादी भूमि के लिये कनवर्जन करा लिया जो सन 2013 में 4218 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ प्लाटिंग के लिये आवण्टन करा लिया तथा 64 वर्गमीटर भूमि गैर मुमकिन रास्ते के उपयोग के लिये समर्पण करा लिया जो दोनो सम्पत्तियां एक दुसरे से सटवा है। अप्रार्थी संख्या 1 ला0 8 द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को प्लाटिंग कर दी गई है समस्त खसरा नम्बर बेचान कर दिया गया है अप्रार्थी संख्या 1 ला0 3 व 4ला0 8 आपस में मिले हुये है जिन्होने आपस में मिलाकर आराजी खसरा नम्बर 1193 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम कठूमर की भूमि को करीब 27 बांई 250 वर्ग फुट जमीन को दवाकर बेचान कर दिया है अब ऐसी स्थिति में बिना सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी के आराजी खसरा नम्बर 1193 का रकबा जो अप्रार्थीयान द्वारा मिली भगत करके दवा रखी है उस पर वापिस दखल पाया जान संभव नहीं है तथा अव अप्रार्थीयान का आराजी खसरा नम्बर 1193/2236 का क्षैत्रफल 4218 वर्ग मीटर से काफी अधिक मौके पर है जिससे सावित है कि अप्रार्थीयान द्वारा प्रार्थीयान की भूमि खसरा नम्बर 1193 के रकबे को दवाकर प्लाटिंग कर बाला बाला तरीके से बेचान कर दिया है बिना सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी के पुनः दवे हुये क्षैत्रफल पर वापिस दखल पाया जाना संभव नहीं है दिनांक 11.03.2024 को श्रीमान तहसीलदार कठूमर के पास पत्थरगढी सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तहसीलदार कठूमर द्वारा बिना उपखण्ड अधिकारी महोदय कठूमर के आदेशों के सीमाज्ञान पत्थरगढी करायाजाना संभव नहीं है।अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1, 2, 9, एवं अप्रार्थी संख्या 4 ला0 8 उपस्थित आये। दिनांक 17.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज.

उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जबाव पेश कर प्रार्थी द्वारा यह अंकित नहीं किया गया है की उक्त जमीन कौन–कौन सी व किस–किस को बेची है व किस का कब्जा है तमाम तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज है उक्त जमीन अबादी के समीप है एवं खातेदारान के द्वारा आराजी पर प्लाटिंग कमे बेचान कर दी व कब्जा करा दिया आबादी बस चुकी है कुछ खाली प्लाट है जिनकी चार दिवारी हो रही है सभी तथ्य के बारे में अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। एवं उक्त आराजी पर मकान बने हुये है रहवास हो रहीं है इस वजह से पत्थगढी करायजाना संभव नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रैस, तहसीलदार कठूमर पत्र सीमाज्ञान कराये जाने बाबत पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

पत्रावली पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के लिखित अभिकथनो को दोहराते हुये बिना सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी के पुनः दवे हुये क्षैत्रफल पर वापिस दखल पाया जाना संभव नहीं है दिनांक 11.03.2024 को श्रीमान तहसीलदार कठूमर के पास पत्थरगढी सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तहसीलदार कठूमर द्वारा बिना उपखण्ड अधिकारी महोदय कठूमर के आदेशों के सीमाज्ञान पत्थरगढी करायाजाना संभव नहीं है।अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपने जबाव के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी द्वारा यह अंकित नहीं किया गया है की उक्त जमीन कौन–कौन सी व किस–किस को बेची है व किस का कब्जा है तमाम तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज है उक्त जमीन अबादी के समीप है एवं खातेदारान के द्वारा आराजी पर प्लाटिंग कमे बेचान कर दी व कब्जा करा दिया आबादी बस चुकी है कुछ खाली प्लाट है जिनकी चार दिवारी हो रही है सभी तथ्य के बारे में अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

एवं उक्त आराजी पर मकान बने हुये है रहवास हो रहीं है इस वजह से पत्थगढी करायजाना संभव नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया व प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा– 1956 को साबित करने में असफल रहे जा अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–: आदेश:–

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाले(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.